



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.01.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अवैध असलाह रखने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व अवैध चाकू बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्तगण 1. मनीष पुत्र अशोक कुमार निवासी माधव प्रसाद गली गुरुद्वारा रोड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व 2. अनिकेत पुत्र रजनीश कुमार निवासी गोपाल मन्दिर के सामने वाली गली खलासी लाईन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को गलीरा फतेहपुर रोड से नाईन स्कूल की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मनीष के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व अभियुक्त अनिकेत से 01 चाकू नाजायाज बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 022/2025 धारा 3/4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**विवरण पूछताछ-** अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम दोनों तमंचा व चाकू लोगो को डराने धमकाने व अपने शौक के लिए अपने पास रखते हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

1. मनीष पुत्र अशोक कुमार निवासी माधव प्रसाद गली गुरुद्वारा रोड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. अनिकेत पुत्र रजनीश कुमार नि0 गोपाल मन्दिर के सामने वाली गली खलासी लाईन थाना सदर बाजार सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण: -**

- 01 देशी तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 चाकू

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 714 नितिन तौमर थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. का0 240 सोनू कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.01.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया माल बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 16.01.2025 को वादी श्री वसीम पुत्र वकील निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादी के लोहे के कारखाने से अभियुक्तगण शहजान उर्फ जौना पुत्र मौ० इरफान निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी सहारनपुर तथा एक अन्य अज्ञात द्वारा लोहे की 01 बिराकिट मशीन व अन्य लोहे का सामान को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु०अ०सं० 17/25 धारा 305(ए)/331(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वाहन चोरी में नामजद अभि० शहजान उर्फ जौना पुत्र मौ० इरफान निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी सहारनपुर को ट्रान्सपोर्ट नगर के पीछ खाली पडी दुकानों के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में 01 ब्रेकिट डेकचून, 05 लोहे की प्लेट गोल, 01 लोहे की प्लेट आयताकार, 02 मोटे वार्शल लोहा, 01 चौकोर पाईप का छोटा टुकडा लोहा, 03 रोड मशीनरी पार्ट, 01 लोहे का ज्वार्टर, 01 मशीन का पार्ट गोल छोटा, 02 लोहे के स्टॉपर व 01 काले रंग की एक्टिवा नं० UP 11W 8720 को बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी०एन०एस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं और मेरा एक अन्य साथी मिलकर बन्द पडी जगहो से चोरी करते हैं और चोरी के सामान को बेचकर मिले रुपयों को अपनी मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं। जिसने मेरे साथ मिलकर दिनांक 16.01.2025 की रात को लोहे के एक कारखाने से चोरी की थी। इस माल को मैं आज एक्टिवा वाहन नं० UP 11W 8720 पर एक प्लास्टिक के बोरे मे रखकर बेचने की फिराक में था, कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

शहजान उर्फ जौना पुत्र मौ० इरफान निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी सहारनपुर।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु०अ०सं० 303/2020 धारा 13 जी एक्ट थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. मु०अ०सं० 27/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. मु०अ०सं० 26/21 धारा 307/34/398/401 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर।
4. मु०अ०सं० 369/18 धारा 13 जी एक्ट थाना जनकपुरी सहारनपुर।
5. मु०अ०सं० 268/16 धारा 13 जी एक्ट थाना जनकपुरी सहारनपुर।
6. मु०अ०सं० 245/23 धारा 380/411 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर।

7. मु0अ0सं0 40/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर ।
8. मु0अ0सं0 247/23 धारा 380/411 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर ।
9. मु0अ0सं0 227/23 धारा 60 आब0 अधि0 थाना जनकपुरी सहारनपुर ।
10. मु0अ0सं0 54/16 धारा 13 जी एक्ट थाना जनकपुरी सहारनपुर ।

**बरामदगी का विवरण:-**

01 ब्रेकिट डेकचून, 05 लोहे की प्लेट गोल, 01 लोहे की प्लेट आयताकार, 02 मोटे वार्शल लोहा, 01 चौकोर पाईप का छोटा टुकडा लोहा, 03 रोड मशीनरी पार्ट, 01 लोहे का ज्वाईंटर, 01 मशीन का पार्ट गोल छोटा, 02 लोहे के स्टॉपर, 01 काले रंग की एक्टिवा नं0 UP 11W 8720

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान थाना जनकपुरी, सहारनपुर
2. है0का0 218 अय्यूब अली थाना जनकपुरी, सहारनपुर
3. है0का0 731 पोपीन कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.01.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा थाना 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया**

### गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.01.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त को दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त इस्लाम पुत्र नबाब निवासी मौ0 नई बस्ती पुराना घास कांटा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या - 1425/23 व मु0अ0स0 78/2000 धारा 51/52ए/63/63ए आबाकारी चालानी थाना को0नगर नियत तिथि 03.02.2025 (माननीय न्यायालय पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर) में दबिश देकर मौहल्ला नई बस्ती पुराना घास कांटा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहे है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इस्लाम पुत्र नबाब निवासी मौहल्ला नई बस्ती पुराना घास कांटा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राजकुमार गौतम थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. है0कां0 1114 यतेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.01.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 50 ग्राम अवैध स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 02 लाख रुपये) बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त राशिद पुत्र यासीन निवासी ग्राम महमूदपुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर सहारनपुर** को ग्राम ताहरपुर बस स्टैंड से स्पोर्ट कालेज की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 50 ग्राम अवैध स्मैक (**अनुमानित कीमत करीब 02 लाख रुपये**) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त राशिद उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 04/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**विवरण पूछताछ-** अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं पुलिस से बचते बचाते चोरी छिपे उत्तराखण्ड से यह नशीला सामान थोड़े सस्ते दामों में लेकर आता हूँ और ट्रक चालको व नशा करने वाले लोगो को महंगे दामो में बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है और मैं अपने खाने पीने व घूमने फिरने के शौक पूर कर लेता हूँ। जिस व्यक्ति से मैं यह नशीला सामान खरीद कर लाता हूँ उसका नाम पता मैं नहीं जानता।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

राशिद पुत्र यासीन निवासी ग्राम महमूदपुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण –**

➤ 50 ग्राम अवैध स्मैक

**अभियुक्त राशिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 274/2022 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना मिर्जापुर।
2. मु0अ0सं0 178/2022 धारा 60/63 आ0 अधि0 चालानी थाना मिर्जापुर।
3. मु0अ0सं0 155/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना मिर्जापुर।
4. मु0अ0सं0 69/2023 धारा 2/3 गैगएस्टर एक्ट चालानी थाना मिर्जापुर।
5. मु0अ0सं0 30/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट चालानी थाना चिलकाना।
6. मु0अ0सं0 31/23 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना।
7. मु0अ0सं0 161/19 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना चिलकाना।
8. मु0अ0सं0 03/25 धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना मिर्जापुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. हे0का0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. का0 1176 रवि कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक: 16.01.2025

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 नाजायज चाकू, 02 गैस सिलेन्डर, 01 टीन तेल, 10 किग्रा चीनी व 01 साईकिल बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि अपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर चोर/अभियुक्तगण 1- नितिन पुत्र बबलू निवासी ग्राम हलालपुर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर 02- अभिषेक पुत्र कृष्ण कुमार नि0 ग्राम हलालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 3- ऋतिक पुत्र सुनील निवासी ग्राम हलालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को बड़ी नहर से कुतुबशेर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 03 नाजायज चाकू, 02 गैस सिलेन्डर, 01 टीन तेल, 10 किग्रा चीनी व 01 रेंजर साईकिल चोरी की बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 20/2025 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-**

1. नितिन पुत्र बबलू निवासी ग्राम हलालपुर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
2. अभिषेक पुत्र कृष्ण कुमार नि0 ग्राम हलालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. ऋतिक पुत्र सुनील निवासी ग्राम हलालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

### **बरामदगी का विवरण-**

- 02 गैस सिलेन्डर
- 03 नाजायज चाकू
- 01 टीन तेल
- 10 किग्रा चीनी
- 01 रेंजर साईकिल

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 547 पंकज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 1253 अनिरुद्ध थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. का0 2251 जितेन्द्र कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16-01-2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना बेहट पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाला 01 दुकानदार/अभियुक्त**  
**गिरफ्तार, कब्जे से प्रतिबंधित मांझे की 05 चरखी बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रतिबन्धित चाइनीज मांझे की बिक्री/इस्तेमाल की रोकथाम हेतु लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.01.2025 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त **मोहित कुमार पुत्र राकेश कुमार नि० नगला बाबैल खुर्द थाना बेहट सहारनपुर** को ग्राम नंगला बाबैल खुर्द से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 05 गिट्टी पतंग का प्रतिबन्धित मांझा (1.6 किग्रा) बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०स० 21/25 धारा 223(बी)/125 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

मोहित कुमार पुत्र राकेश कुमार नि० नगला बाबैल खुर्द थाना बेहट सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टियाँ:-**

1. उ०नि० श्री बलराम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० अभिषेक चौरसिया थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
3. का० 2300 पीतम थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
4. का० 2183 संजू सेम थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।